२६/5/२5 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई।
मैंने सुनी गयी बहस व लिखित आवधानों
पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे
स्पष्ट है कि अपीलार्थी की भूमियों के
राजस्व रिकार्ड व कब्जे, काश्त की पूर्ण

जानकारी अपीलार्थ व उनके परिजनों को शुरू से ही रही है। अपीलार्थ ने मिथ्या तथ्यों के साथ यह अपील विलम्ब से पेश की है अत: अपील के गुणावगुण पर विचार करने से पहले मियाद का प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाकर मियाद अधिनियम धारा 5 को अस्वीकार किया जाता है। अत: प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए मियाद अधिनियम धारा 5 के अस्वीकार होने से मूलत: अपील खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण करा शा० मिसल रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– मोनिका सामोर, R.A.S.

अपील संख्या– 07 / 2020

1. प्रकाश चन्द आयु 62 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी पिपराली रोड, वार्ड संख्या 54, समर्थपुरा, सीकर।

——अपीलाण्ट

ब ना म

1. गोपाल पुत्र ईश्वरराम जाति निवासी ग्राम कून्दन हाल आबादी मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत मदनी।
3. तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

——रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत 75 एलआर एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 16 / 08 / 1986 द्वारा ग्राम पंचायत मदनी

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील अपीलाण्ट की ओर से।
2. रेस्पोंडेट संख्या 1 की ओर से वकील आनन्द राड़ हाजिर आये।

निर्णय

दिनांक–26 / 05 / 2025

1. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के दादा गोविन्दराम का निर्वसियति हिन्दू के रूप में देहांत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में चार पुत्र कमशः रामचन्द्र, रामलाल, ईश्वर राम, व बृजेन्द्र व धर्मपत्नी सुन्दरी देवी मौजुद रहते हुये भूमि पुराना खसरा नम्बर 377 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा ख.न. 436 रकबा 66 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 272 रकबा 11 बीघा 16 बिस्व वाकै ग्राम मदनी जिनके हाल ख.न. 1005 से 1008, 1013, 1014, 1003 / 1278, किता 7 रकबा 9.56 हैक्टर ख.न. 1123, 1124, 1155 से 1158, 1210, 1212 से 1217, 1158 / 1309 किता 14 कुल रकबा 17.14 है. तथा ख.न. 824 से 826, 828, 830 / 1346 किता 5 कुल 2.99 है. वाकै ग्राम मदनी के सम्बंध में विरासत का नामान्तरकण संख्या 286 तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरण गोविन्दराम के प्रथम श्रेणी के वैध उत्तराधिकारीयो को साजिश पूर्वक बंचित करते हुये विधि एवं प्रक्रिया के विपरित ढंग ही तस्दीक किया गया। जिसकी नाराजगी में अपील अलीलांट निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है :–

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़